संख्या:264/2016/1724जेएल/22-3-16-37/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनाक: 15 जुलाई, 2016***

विषय- प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों की मुलाकात की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर आपके पत्र संख्या-137/सामा-1(4)/मुलाकात/2016, दिनांक 12-04-2016 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या-117जे0एल0/22-3-04-87/1997, दिनांक 12-07-2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि कारागारों में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों को उनके परिजनों से **सप्ताह में तीन बार** मुलाकात करने की सुविधा प्रदान की जाय।

2- यदि किसी सप्ताह में विचाराधीन बंदी के परिजन उससे मुलाकात न कर सकें तो इस सुविधा को लुप्त माना जायेगा एवं इसके स्थान पर अन्य सप्ताह में मुलाकात की सुविधा नहीं दी जायेगी। केवल विधि व्यवसायी को सप्ताह में अनुमन्य अतिरिक्त मुलाकात की सुविधा प्रदान की जायेगी।

3- मुलाकात व्यवस्था हेतु प्रभावी शासनादेश संख्या-181जे0/22-3-99-87/1997, दिनांक 07-06-1999 में निर्धारित मुलाकात की समय सीमा एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

4- कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या:264/2016/1724जेएल(1)/22-3-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त अधीक्षक/वरिष्ठ अधीक्षक, कारागार, उत्तर प्रदेश।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरि नारायण गिरि)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in